

• नये जल संयोजन अथवा सीवर संयोजन (उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 के अधीन रहते हुए)

क्रम सं0	प्रक्रिया के चरण	कार्यालय का स्थान	समय
1-	आवेदन पत्र प्रारूप प्राप्त किया जाना	नगर निगम जोनल कार्यालय(जलकल विभाग )	10.30 बजे से 3.00 बजे सांय
2-	आवेदन पत्र जमा करने की और प्राप्ती रसीद निर्गत किया जाना।	नगरपालिका परिषद /नगर कार्यालय (जलकल विभाग)/नगर पंचायत कार्यालय	10.30 बजे से 3.00 बजे तक
3-	आवेदन पत्र में कमी की सूचना	नगर निगम जोनल कार्यालय (जलकल विभाग) नगरपालिका परिषद / नगर कार्यालय (जलकल विभाग)/ नगर पंचायत कार्यालय	03 (तीन) कार्य दिवस
4-	स्थल निरीक्षण तथा जल संयोजन /सीवर संयोजन (तकनीकी रूप में सम्भव होने की दशा में ) आंगणन के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि की सूचना	नगर निगम जोनल कार्यालय (जलकल विभाग) नगरपालिका परिषद / नगर कार्यालय (जलकल विभाग)/ नगर पंचायत कार्यालय	03 (तीन) कार्य दिवस में
5-	नये जल संयोजन का संयोजन (तकनीकी रूप से सम्भव होने की दशा में)	नगर निगम जोनल कार्यालय (जलकल विभाग) नगरपालिका परिषद / नगर कार्यालय (जलकल विभाग)/ नगर पंचायत कार्यालय	संसूचित जल संयोजन शुल्क की धनराशि जमा करने की तिथि 03 (तीन) कार्य दिवसों में परन्तु जल संयोजन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 30 (तीस) कार्य दिवस के अन्दर

